न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 55 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट

1. सकूर पुत्र सदीक उम्र 40 वर्ष
2. हनीफा पत्नी सदीक उम्र 70 वर्ष जाति मुसलमान निवासी गेहूं तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.मदनलाल पुत्र पोकरदास के का.मु.
1/1श्रीमती शांति पत्नी स्व.मदनलाल
1/2मनोहरलाल पुत्र स्व.मदनलाल
2.अशोक कुमार पुत्र स्व. मदनलाल
3.नरसींगदास पुत्र स्व. मदनलाल
जाति अग्रवाल निवासी अग्रवाल मोहल्ला बाड़मेर व गेहूं तहसील व जिला बाड़मेर।
4.गुल मोहम्मद पुत्र सदीक जाति मुसलमान निवासी गेहूं तहसील व जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर के राजस्व वाद संख्या 40/2006 बअनवान सकूर वगैरा बनाम मदनलाल वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.03.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. अधिवक्ता श्री अम्बालाल जोशी, श्री कुमार कौशल जोशी अपीलान्ट की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री हुकमसिंह चौधरी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 30.09.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद इस आशय का पेश किया कि ग्राम गेहूं में अपीलकर्ता के पूर्व पुरूषों के खेत खसरा संख्या 375 रकबा 29.05 बीघा, खसरा संख्या 546/375 रकबा 05.09 बीघा, खसरा संख्या 374 रकबा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 376 रकबा 25.05 बीघा, खसरा संख्या 545/375 रकबा 09 बीघा आये हुऐ है। विवादित उपरोक्त तीन खेतों में मूसा के पुत्र के रूप में गुल मोहम्मद का नाम गलत रूप से संधारित हुआ है जबकि मूसा की समस्त जमीन वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 04 के संयुक्त नाम से होनी चाहिये थी, मगर इस मध्य उपरोक्तानुसार गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी संख्या 04 मुल मोहम्मद द्वारा अन्य प्रतिवादीयों के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कर दिये जो कि प्रारम्भ से शून्य है क्योकि पूरे खेत बेचने का हक नहीं था, केवल स्वयं का 1/3 बेच सकता था। ऐसी दशा में विवादित बेचाननामों के आधार पर दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की जगह प्रत्येक खेत में वादीगण संयुक्त रूप से 2/3 हिस्से के खातेदार घोषित करवाने की अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.09.2015 को एक आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी पी सी प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 की ओर से पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

किया। वादीगण/अपीलांट द्वारा दिनांक 16.12.2015 को जबाव दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.03.2017 को विधि विरूद्ध जाकर उक्त आवेदन स्वीकार करते हुए वाद इसी स्टेज पर खारिज कर दिया जो न्यायसंगत नहीं है। किसी भी खातेदारी भूमि में घोषणा राजस्व न्यायालय ही कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमर्जी व विधि विरूद्ध आलोच्य निर्णय पारित किया गया जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट द्वारा पेश आवेदन अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी का निस्तारण साक्ष्य पूर्ण होने पर ही किये जाने का विधि में प्रावधान है। हस्तगत आवेदन अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी में उठायी गई आपत्तियां, यथा गुल मोहम्मद का गोदपुत्र होना एवं बेचान पत्र निरस्त करने का क्षेत्राधिकार न होना आदि इससे पूर्व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जबाव दावे में उल्लेखित है और जबावदावे में उल्लेखित अभिवचनों की दृष्टिगत रखते हुऐ ही तनकीयात कायम की गई। पत्रावली साक्ष्य हेतु लंबित है, ऐसी दशा में हस्तगत आवेदन का विधिक दृष्टि से विचारण योग्य नहीं था तथापि अधीनस्थ न्यायालय ने सुस्थापित न्यायिक सिद्धांतों से विपरित जाकर आलोच्य अपीलाधीन निर्णय पारित किया। अधीनस्थ न्यायायलय द्वारा अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रतिवादी के कथन गोदपुत्र होने से बेचानों का सही मानने का उल्लेख किया है जबकि वादीगण के ऐसे अभिवचन ही नहीं है यह बिन्दू साक्ष्य से ही निर्णित हो सकते है। हस्तगत वाद गोद पुत्र होने अथवा न होने पर आधारित नहीं है, बल्कि केवल मात्र इस तथ्य पर आधारित है कि मूसा का पुत्र न होने के बावजूद भी मूसा के पुत्र के रूप में बेचान किये है जो अकृत की श्रेणी में आने से शून्य है। वादीगण/अपीलांट के अभिवचनों एवं चाहे गये अनुतोष के अवलोकन से केवल यह तथ्य प्रकट होता है कि विवादित बेचान शून्य है, इसलिये वादीगण के प्रति निष्प्रभावी है और इस आधार पर वादीगण/अपीलांट 2/3 हिस्से के खातेदार घोषित होने के हकदार है। बेचान में गुल मोहम्मद को गलत रूप से बालिग बताया गया है। यह विषय विस्तु शुद्ध रूप से राजस्व न्यायालय के विचारण योग्य है। हस्तगत वाद का श्रवण क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त है क्योंकि शून्य बेचान को निरस्त करवाना कानूनन आवश्यक नहीं है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:-

DNJ (Raj.) 2015(2) Page 503
DNJ (Raj.) 2015(4) Page 1819

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

DNJ (Raj.) 2013(3) Page 1219
RRD 2012 Page 842
RRD 2009 Page 244
RRD 2008 Page 423
RRT 2018(2) Page 1425

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि उतरदाता संख्या 01 से 03 को किये गये बेचान के आधार पर नामान्तकरण भरा जो आज भी दर्ज है। वक्त बेचान से लेकर आज तक रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 का कब्जा लगतार है वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेंट के नाम बिजली कनेक्शन भी है। दावा 20 वर्ष बाद पेश किया गया जिसका कोई विधि सम्मत कारण नहीं बताया जबकि एक–एक दिन का विवरण बताना होता है कि किस वजह से दावा विलंब से पेश किया गया। उतरदातागण द्वारा सद्भावी क्रेता के रूप में भूमि क्रय की है। कब्जे के आधार पर भी 183 आर.टी एक्ट के तहत दावा 12 वर्ष बाद पेश नहीं हो सकता। अपीलांटगण/वादी अधीनस्थ न्यायालय में अपना वाद प्रमाणित नहीं कर सके हैं इसके अभाव में वह अपना हक पाने की अधिकारी नहीं ठहरते है। बेचान के विक्रय पत्र प्रभाव में है। पंजीबद्ध विक्रय पत्र के प्रभाव में रहते अपीलांट/वादीनी राजस्व न्यायालय से कोई सहायता प्राप्त करने की अधिकारी नही है और विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नही है। गुल मोहम्मद को बेचान में बालिग गलत दर्ज किया गया है तो अपीलांट द्वारा इस बाबत ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि वह नाबालिग है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

DNJ (SC) 1998 Page 196
DNJ (Raj.) 2011(3) Page 1376
RRD 1993 Page 326
DNJ(Raj.) 2013(1) Page 358
RRT 2014(1) Page 683
DNJ (Raj.) 1999 Page 604
RLW 2015(1) Page 189
RRT 2015(2) Page 868
AIR 2016 Raj. Page 89
RJT 2016(1) Page 99
AIR SCW 2007 Page 6599

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

CCC 2019(3) Page 160
DNJ 2017(1) Page 1
RLW 2008(2) Page 1390
CCC 2013(1) Page 075(S.C.)

अतः अपीलांट की अपील मये खर्चे के खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विधि सम्मत निर्णय को यथावत रखा जावे।।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मुस्लिम विधि के अधीन पुत्र अथवा वारिस मात्र जन्म द्वारा किसी व्यक्ति को संपति को कोई हित अर्जित नहीं कर सकता है। अपीलांट/वादीगण द्वारा पर आपत्ति करते हुए बताया कि गुल मोहम्मद को बेचान में बालिग गलत बताया गया है जबकि इस से संबंधित कोई सबूत दस्तावेज वादी/अपीलांटगण द्वारा पेश नहीं किया गया है तथा किसी भी दस्तावेज को फर्जी साबित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। उतरदातागण द्वारा अपीलाधीन आराजी जरिये रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर क्रय की गई है। रजिस्टर्ड बेचान आज भी प्रभावी है। रजिस्टर्ड बेचान को निष्प्रभावी करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का है। उतरदातागण का अपीलाधीन आराजी पर लगातार आज भी कब्जा काश्त है। वर्तमान में जमीन की कीमतों में वृद्धि होने से एवं उतरदातागण को तंग एवं परेशान करने के लिए हस्तगत वाद अपीलांटगण/वादी द्वारा पेश किया गया है। अपीलांट/वादी साफ हाथो से न्यायालय में नहीं आया है। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत के आधार पर खारिज करने योग्य ठहरता है।

अतः अपीलांट की सारहीन होने से खारिज की जाती है एव अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर के राजस्व वाद संख्या 40/2006 बअनवान सकूर वगैरा बनाम मदनलाल वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.03.2017 को यथावत रखा जाता है।

30/9/19

(नाथूसिंह भाटी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 30.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/9/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner